न्यायालय भूमि सुधार उप-समाहर्ता, बेनीपुर (दरभंगा)

मो० मुस्ताक व अन्य

बनाम

भू०वि०वा०सं० → 30/12-13 — मिस्तफिजुर खाँ अन्य

# आदेश

14-9-12 यह वाद मो० मुस्ताक खाँ मो० अल्ताफ पेसरान स्व० सेख शाबीर साकिन मौजा सिरसौली थाना व [illegible] अंचल + बेनीपुर जिला दरभंगा द्वारा बिहार सरकार की मो० अली पिसर [illegible] सदीक मरहुम साकिन सिरसौली अंचल + बेनीपुर के विरुद्ध बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत लिखित प्रपत्र अनुरूप दाखिल परिवाद पत्र के आलोक में प्रारंभ की गई।

वादी द्वारा वादपत्र में उल्लेखित है कि मोहम्मद साखीगर अपने पीछे चार पुत्रों यथा जुलाई साखीगर, फोचाई साखीगर, [illegible] साखीगर व रमजान साखीगर को छोड़ स्वर्गीय हुए। रमजान साखीगर निःसंतान स्वर्गीय हुए। जुलाई साखीगर एवं फोचाई साखीगर के वंशजों का कोई [illegible] वाद से कोई सरोकार नहीं है। [illegible] साखीगर को दो पुत्र यथा हनीफ साखीगर व [illegible] साखीगर हुए। [illegible] साखीगर के वंशजों का भी इस वाद से कोई सरोकार नहीं है। हनीफ साखीगर अपने पीछे दो पुत्र सदीक साखीगर व अजीज साखीगर को छोड़कर स्वर्गीय हुए। अजीज साखीगर अपने पीछे चार पुत्र यथा मो० रफीक, मो० मुर्तजा, मो० [illegible] व मो० मुस्ताक को छोड़कर स्वर्गीय हुए। वर्तमान पेसरान अजीज साखीगर के कोई हक मोमलाना नहीं है अतएव मो० रफीक व मो० अल्ताफ यही दोनों भाई वर्तमान मोकदमा कायम कर रहे हैं क्योंकि मो० मुर्तजा व मो० रफीक मौजा [illegible] से बाहर हैं तथा निकट भविष्य में आने की संभावना नहीं है। सदीक साखीगर अपने पीछे दो पुत्रगण एहसान साखीगर व मो० अली साखीगर को छोड़कर स्वर्गीय हुए। यह भी उल्लेखित है कि एहसान साखीगर व मो० अली साखीगर अभी घर से बाहर हैं किन्तु उन दोनों में से किसी एक की मौजूदगी के मद्देनजर मो० अली साखीगर को बतौर सरकशा आउट किया द्वितीय पक्ष बनाया गया। मौजा सिरसौली थाना नं० 242 खाता खाता 553

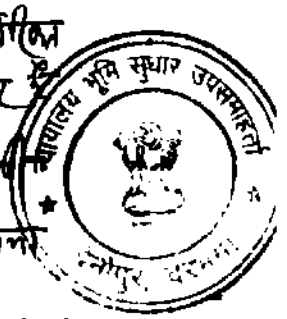

हाल खेसरा 571 वो 570 हाल खतियान में बकाबाद संवत्‌लाल किस्म "मकान मय सहन" दर्ज है। RSP 571 वो RSP 570 पुराना खेसरा नीला 726 एवं 727 के आंशिक रकबा से बना है। CSP 726 वो CSP 727 पुराना खाता 179 है जो पुराने खतियान में गैरमजरुआ आम करके दर्ज है। साथ ही उल्लेखित है कि CSP 726 पाकड़ वृक्ष मालिक मालगुजार दर्ज है। आवेदक के पूर्वजों का काबिज पर पुराना खेसरा 726 पर पक्का आ रहा है किन्तु हाल सर्वे के पदाधिकारीगण ने गलती से आवेदक के पूर्वजों का कालीन सलतनत दर्ज नहीं किया। हाल सर्वे पदाधिकारी ने RS खाता 553 कलाबाद संवत्‌लाल दर्ज किया परन्तु RSP 570, 571 के कैफियत खाने में प्राथी मुद्दई के पिता शेख अमीन वो चाचा शेख रफीक का अवैध दखल मकानमय सहन दर्ज किया। इस प्रकार फिदवी मुद्दई के दादा, पिता वो वर्तमान में फिदवी मुद्दई एवं जीवन मौजावा पर लगातार खुलमखुल्ला, निर्बाध, अपलान उकियत, दखल कब्जा बिहार सरकार लगभग 100 वर्षों से काबिज दाखिल चले आ रहे हैं। हाल सर्वे पदाधिकारीगण ने हाल खतियान में "अवैध दखल वो भी सिर्फ 1970 ई० से" गलत दर्ज कर दिया। इन्हीं तथ्यों के मद्देनजर वादी ने विवादी खाता नं० 553 विवादी खेसरा 570 वो 571 का RoS प्रविष्टि को विलोपित करते हुए शेख अमीन वो शेख रफीक पिता इब्राहिम को सोनाबाड़ी रैयत के कुल हक वो हकूक के दर्ज होने की अनुमति देने का अनुरोध किया है।

राज्य की तरफ से AGP द्वारा दाखिल प्रस्तुत दिनांक 18.7.12 द्वारा वादपत्र का विरोध करते हुए उल्लेख किया कि वादी के पूर्वजों का तकरारी भूमि पर कभी मकानमय सहन के रूप में दखल कब्जा नहीं रहा। तकरारी भूमि मूलतः एवं वस्तुतः बिहार सरकार की भूमि है जो सार्वजनिक उपयोग की है। वादी के पक्ष में तकरारी भूमि का Chain of title स्थापित नहीं होता है। अतएव यह वाद खारिज योग्य है।

वाद के विचारण के दौरान वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में मो० मुतकीम पिता स्व० मो० कलाम (PW-1) का मौखिक साक्ष्य कराया गया तथा शपथ बयान दाखिल किया जिसका प्रतिपरीक्षण राज्य के तरफ से AGP द्वारा किया गया। PW-1 ने अपने मौखिक साक्ष्य में तकरारी भूमि पर वादी का बिहार सरकार की जमीन पर रफीक के लड़के का कालीन मकान है। प्रतिपरीक्षण में PW-1 द्वारा तकरारी भूमि का जिलानी खाता, केवाला आदि जमा करने में सक्षम नहीं हुए। PW-1 ने प्रतिपरीक्षण में [illegible]

BLDR Case no → 30/12-13

वादी के विद्वान अधिवक्ता का अधिवचन सुना। राज्य के तरफ से GP का भी अधिवचन सुना। संलग्न दस्तावेजी साक्ष्य यथा Revisional Survey खतियान RS खाता 553 RSP 570, 571 का अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत PW1 के साक्ष्य बयान व प्रतिपरीक्षा बयान का अवलोकन किया।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के अधिवचन के विवेचनाओं से यह स्पष्ट व प्रमाणित होता है कि तकरारी भूमि CS खतियान एवं Revisional Survey खतियान में गैर मजरुआ आम करके दर्ज है। CS खतियान में तकरारी भूमि के गैर मजरुआ आम होने की स्वीकारोक्ति वादी के वादपत्र की कंडिका 15 में की गई है। RS खाता 553 मौजा [illegible] के RSP 572 में मो० [illegible] वो RSP 570 में मो० [illegible] का नाम दर्ज है। पुराने खतियान से नया सर्वे खतियान में तकरारी भूमि गैर मजरुआ आम अंकित है। वादी या उनके पूर्वजों को तकरारी भूमि प्राप्त होने का कोई आधार या दस्तावेजी साक्ष्य वादी को नहीं है। गैर मजरुआ आम भूमि की बंदोबस्ती करने का अधिकार भूतपूर्व जमींदारों को भी नहीं था। स्पष्टतः अवैध दखल होने से वादी का स्वत्व व स्थापित तकरारी भूमि पर सिद्ध नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवरणों व विवेचनाओं के आलोक में वाद को खारिज किया जाता है।

लेखापित व संशोधित

(हस्ताक्षर) 14.9.12
भूमि सुधार उप-समाहर्ता
बांकीपुर

(हस्ताक्षर) 14.9.12
भूमि सुधार उप-समाहर्ता
बांकीपुर